कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1718052 दिनांक 17-11-2017

प० सं०/2164/एडी०कमि० (जी०एस०टी०/वि०अनु०शा०)/वाणिज्य कर मुख्यालय।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०
(एडी०कमि०–जी०एस०टी०/वि०अनु०शा०–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: :: 17 नवम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (वि०अनु०शा०),
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०),
वाणिज्य कर/राज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय–माह नवम्बर व दिसम्बर में अधिकतम राजस्व प्राप्ति हेतु विभाग की कार्य योजना।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 14.11.2017 को विभागीय समीक्षा में जी०एस०टी० व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित राजस्व प्राप्ति न होने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि पंजीयन आधार बढ़ाने एवं करापवंचन की शतप्रतिशत रोकथाम करने हेतु समस्त प्रयास किया जाये जिससे कि उत्तर प्रदेश जैसे उपभोक्ता राज्य को जी०एस०टी० में अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो सके। अतः माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन हेतु माह नवम्बर एवं दिसम्बर में विभाग की कार्य योजना निम्नवत निर्धारित की जाती है।

1. जी०एस०टी० के अन्तर्गत माईग्रेटेड एवं नये पंजीकृत व्यापारियों के शतप्रतिशत रिटर्न दाखिल कराना एवं नियमानुसार देय कर जमा कराना–

(i) इस कार्य हेतु जिन व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किये गये हैं उनसे सम्बन्धित खण्ड अधिकारी द्वारा टेलीफोन पर वार्ता की जायेगी एवं जिन व्यापारियों द्वारा फोन नहीं उठाया जाता उनके व्यापार स्थल पर जाकर व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए उनका टेलीफोन नम्बर अपग्रेड कराया जायेगा तथा इसकी सूचना दैनिक आधार पर इम्प्लाई इन्फार्मेशन सिस्टम में उपलब्ध मॉड्यूल में फीड की जायेगी।

(ii) नये पंजीकृत व्यापारियों में से रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उनके व्यापार स्थल की शत प्रतिशत जॉच प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी एवं तदोपरान्त अन्य नये व्यापारियों की भी अधिकतम जॉच का प्रयास किया जायेगा तथा उसकी सूचना भी दैनिक आधार पर इम्प्लाई इन्फार्मेशन सिस्टम में उपलब्ध मॉड्यूल में फीड की जायेगी।

(iii) नये पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ई–वे बिल से मंगाये गये माल का विवरण सभी खण्डाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। अतः ऐसे सभी व्यापारियों जिनके द्वारा रू0 25 लाख या उससे अधिक का माल आयात किया गया है, का परीक्षण खण्ड में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर कार्यपालक द्वारा किया जायेगा तथा इनमें से ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करते हुए, जिनके द्वारा आयात के अनुरूप कर नहीं जमा किया गया है उनके व्यापार स्थल की जॉच की जायेगी तथा इसका विवरण भी इम्प्लाई इन्फार्मेशन सिस्टम में उपलब्ध मॉड्यूल में फीड किया जायेगा।

2.अधिक से अधिक नये व्यापारियों को पंजीकृत कराना–

(i) अधिक से अधिक नये व्यापारियों को पंजीकृत कराने हेतु पूर्व में कई बार निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्व में प्राप्त सूचनाओं में से अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु पुनः श्रम विभाग में पंजीकृत/लाइसेन्स धारक व्यापारियों की सूची विद्युत विभाग से व्यावसायिक कनेक्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/व्यापारियों की सूची, जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय से एल0पी0जी0 के व्यावसायिक कनेक्शन धारक व्यक्तियों/व्यापारियों की सूची, नगर निगम, नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरणों से व्यावसायिक सम्पत्तियों की सूची प्राप्त करते हुए उनमें से जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत न होने वाले व्यापारियों की स्थानीय जॉच कर उन्हें पंजीकृत कराया जाए।

(ii) सेवाकर में पूर्व में पंजीकृत व्यापारियों की सूची सभी खण्डाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी है उनमें ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा जी0एस0टी0 में माइग्रेशन नहीं किया गया है की स्थानीय जॉच कराना सुनिश्चित किया जाये कि वे वास्तव में थ्रेसहोल्ड सीमा से कम है और यदि उनका व्यापार थ्रेसहोल्ड सीमा से अधिक पाया जाए तो नियमानुसार उन्हें पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जाए।

3. करापवंचन की रोकथाम–

(i) सभी सचल दल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 वाहनों की जॉच अवश्य की जाएगी। ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा भी स्वयं प्रतिदिन कम से कम 5 वाहनों की जॉच की जाएगी तथा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2,(वि0अनु0शा0) द्वारा सप्ताह में कम से कम 2 दिन स्वयं अपने निर्देशन में जॉच करायी जाएगी।

(ii) सचलदल अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 500 बिलों का संकलन किया जाएगा तथा इनकी फीडिंग विभागीय वेबसाईट पर vyas central में की जाएगी।

(iii) बिना ई–वे बिल के परिवहन किये जा रहे माल के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा ट्रान्सपोर्टर, गोदाम, वेयर हाउस एवं चिन्हित करापवंचक व्यापारियों की नियमानुसार जॉच सुनिश्चित की जायेगी एवं जी0एस0टी0 के प्राविधानों का उपयोग करते हुए जॉच पर अभिग्रहण योग्य पाये गये माल को अभिग्रहीत कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. राजस्व प्राप्ति हेतु अन्य प्राथमिकता वाले कार्य–

(i) वर्ष 2014–15 व 15–16 के वि0अनु0शा0 वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा। खण्ड में तैनात प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रति माह 5 वि0अनु0शा0 वादों का निस्तारण अवश्य किया जायेगा। जिन अधिकारियों के पास लम्बित वि0अनु0शा0 वाद 5 से कम हैं, उनके द्वारा प्रत्येक दशा में 30.11.2017 तक वि0अनु0शा0 वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) वर्ष 14–15 के अनिस्तारित वादों का निस्तारण भी 31 जनवरी, 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जायेगा तथा प्रति माह डि0कमि0 द्वारा 25 वादों का निस्तारण, असि0कमि0 द्वारा 50 एवं वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा 60 वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। जिन अधिकारियों द्वारा उक्त मानक के अनुसार निस्तारण नहीं किया जायेगा उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(iii) जोन में कार्यरत भट्ठों में से ऐसे भट्ठे जिनके द्वारा माईग्रेशन नहीं किया गया है अथवा माईग्रेशन कर लिया गया है किन्तु रिटर्न दाखिल नहीं किये गये हैं उनकी जॉच प्राथमिकता के आधार पर करायी जायेगी एवं इसकी सूचना भी प्रतिदिन इम्प्लाई इन्फारमेशन सिस्टम में उपलब्ध मॉड्यूल में फीड की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक अधिकारी के कार्य की समीक्षा उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर की जायेगी और कार्य मानदण्डों के अनुरूप न पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

17/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर/राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।